समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 15-09-2014 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

अनुपस्थित पदाधिकारी :-

1-सिविल सर्जन, मधेपुरा, 2-जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा, 3-जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा, 4-श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सिंहेश्वर, 5-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधेपुरा /सहरसा, 6-जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा, 7-उप महाप्रबंधक (तक0), बि0स्टेट रोड डे0कॉ0लि0पी0आई0, मधेपुरा, 8-जिला समादेष्टा, मधेपुरा, 9-जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा, 10-डी0पी0एम0, कोशी पुनर्वास, मधेपुरा, 11-श्री अजय कुमार राय, बाल संरक्षण पदाधिकारी, मधेपुरा एवं 12-जिला खेल पदाधिकारी, मधेपुरा बैठक से अनुपस्थित पाये गये।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(2) अभियंता दिवस :-

जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 15-09-2014 को अभियंता दिवस के अवसर पर सभी अभियंताओं को बधाई दिया गया।

(3) बी0एस0एन0एल0, दूरभाष :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौसा ने अपने पत्रांक-325, दिनांक-22-07-2014 द्वारा संसूचित किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौसा अन्तर्गत, दूरभाष संख्या-06479-273462 पर संचालित ब्रॉड-बैण्ड सेवा लगभग 45 दिनों से खराब है, जिसके कारण सरकारी कार्य करने में काफी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तथा कई बार कनीय अभियंता, बी0एस0एन0एल0, उदाकिशुनगंज को अनुरोध करने पर भी उनके द्वारा कोई अभिरूची नहीं ली जा रही है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ब्रॉड-बैण्ड खराब रहने के कारण प्रतिदिन चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण डाटा (जननी बाल सुरक्षा योजना तथा अन्य योजना से संबंधित) को वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है।

इसी प्रकार एल0-1 इंजीनियर, विश्वान, मधेपुरा द्वारा भी सूचित किया गया है कि मधेपुरा जिले के विभिन्न प्रखण्डों यथा- आलमनगर, चौसा एवं पुरैनी प्रखण्ड में ब्रॉड-बैण्ड सही ढ़ंग से कार्य नहीं कर रहा है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सहायक अवर प्रमण्डल, दूरभाष, मधेपुरा तथा कनीय अभियंता, बी0एस0एन0एल0, उदाकिशुनगंज को इस संबंध में कई बार अनुरोध किया जा चुका है, किन्तु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण महत्वपूर्ण सरकारी पत्रों /संवाद के ई-मेल से भेजने /प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा सारा कार्य ठप पड़ा हुआ है।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय द्वारा बताया गया कि जिला गोपनीय शाखा में अधिष्ठापित ब्रॉड-बैण्ड /इंटरनेट सेवा भी बराबर खराब रहती है, जिसके कारण सरकारी कार्यो के निष्पादन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

जिलाधिकारी द्वारा सहायक अभियंता, अवर प्रमण्डल, बी0एस0एन0एल0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के मद्देनजर ब्रॉड-बैण्ड /इंटरनेट सेवा को निर्वाध रूप से चलाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए। प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा को निदेशित किया गया कि ब्रॉड-बैण्ड /इंटरनेट सेवा को निर्वाध रूप से बहाल करने हेतु टी0डी0एम0, बी0एस0एन0एल0, सहरसा से अनुरोध किया जाए। **(अनुपालन-अनुमण्डल अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा)**

(4) पैक्स :-

जिलाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि आगामी पैक्स निर्वाचन की तैयारी की क्या स्थिति है। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पैक्स निर्वाचन हेतु मतपेटियों की मरम्मति तैलीयकरण आदि का कार्य अभी भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि पिछ्ली बैठक में निदेश दिया गया था कि मतपेटियों की आवश्यक साफ-सफाई /मरम्मति कराकर कर उचित स्थान पर रखा जाए, किन्तु अनुपालन नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि उक्त मतपेटियों को कहां रखना है, उस स्थल को चिन्हित कर अग्रेतर कार्रवाई अविलम्ब किया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनता दरबार में यह शिकायत मिली कि मृत व्यक्तियों के नाम भी मतदाता सूची में सम्मिलित है। अतः उनकी जांच पड़ताल करने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) को दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि पैक्स मतदाता सूची की जांच निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से कराते हुए सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची में से मृत व्यक्तियों का नाम हटा दिया गया है। निदेश दिया गया कि अभियान चलाकर प्रचार प्रसार कराया जाए तथा सही व्यक्तियों का ही नाम जोड़ा जाए। जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि प्रचार-प्रसार हेतु इस संबंध में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मतदाता सूची के संबंध में दावा /आपत्ति प्राप्त करने हेतु मधेपुरा अनुमण्डल के लिए दिनांक 14-09-2014 तथा उदाकिशुनगंज अनुमण्डल के लिए दिनांक 19-09-2014 तक की तिथि निर्धारित की गयी है। जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि निर्वाचन में होने वाले व्यय के संबंध में बजट तैयार करने का निदेश दिया गया था, परन्तु अभी तक आपके द्वारा बजट प्रस्ताव भेजने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। निदेश दिया गया कि 24 घंटे के अन्दर व्यय से संबंधित बजट तैयार कर उपलब्ध करावें, ताकि निर्वाचन प्राधिकार को भेजा जा सके।

(अनुपालन-जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा -सह- उप जिला निर्वाचन पदा0 (स0स0)

(5) स्वास्थ्य :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सिंहेश्वर प्रखंड अन्तर्गत ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि एक पैथोलॉजी निजी चिकित्सक से ईलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गयी, जिसके कारण ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होकर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर दी गयी। सिविल सर्जन, मधेपुरा, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि ऐसे झोला-छाप चिकित्सों एवं अवैध पेथोलोजी घरों की जांच कर, दोषी पाये जाने की स्थिति में कठोर कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें। यह भी निदेश दिया गया कि मधेपुरा जिले अन्तर्गत सभी निजी चिकित्सा केन्द्रों का नियमानुसार रजिस्ट्रेशन हो, इसे सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदा0/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति)

(6) शिक्षा /कल्याण /सामान्य :-

'जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में NHRC/ SHRC से प्राप्त मामलों में मेरिट स्कालरशिप संबंधी मामलों में जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया जाता है, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। सभी संबंधितों को निदेश दिया गया कि इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा से समन्वय स्थापित कर उक्त लाभ कहां से देय है की जानकारी प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि दिनांक 18-09-2014 को 02:0 बजे अप0 से निजी कोचिंग संस्थानों के संचालकों की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित की गयी है, जिसके निजी कोचिंग संचालकों का निबंधन तथा निजी विद्यालयों में आर0टी0ई0 के तहत् जितने भी बच्चों को नामांकित किया गया है एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। अतः संधित शिक्षा पदाधिकारी प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेंगे। यह भी बताया गया कि दिनांक 20-09-2014 को शिक्षा विभाग से संबंधित जनशिकायत के जितने भी मामलें लंबित है, उसकी विस्तृत प्रतिवेदन के साथ बैठक में उपस्थित होने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया।

(अनुपालन-जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रभारी पदा0, सामान्य, मधेपुरा)

(7) बैंकिंग :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई-3, बिहार, पटना के पत्रांक-4182, दिनांक-04-09-2014 द्वारा निम्नलिखित कम्पनियाँ विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अत्याधिक लाभ देने का प्रलोभन देकर आम जनता से असंवेधानिक रूप से धन संग्रह करने हेतु अपनी शाखा खोल रही है। इन कम्पनियाँ की प्रतिभूति न ही किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और न ही इन्हें आम जनता से प्रतिभूति निर्गत कर या किसी अन्य योजनाओं के तहत धन संग्रह करने के लिए सेबी से पंजीकृत /अधिकृत किया गया है, इसकी सूची निम्न प्रकार है :-

1. M/s Altruistic Agro Food Proceesing Ltd.
2. M/s Jivan Sambridhi Medical Marketing Ltd.
3. M/s Pratigya Housing Finance & Construction Company Ltd.
4. M/s Sarada Pleasure & Adventure Ltd.
5. M/s Sarada Mutual Benefit (Nidhi) Ltd.
6. M/s Ganga Sagar Agency Pvt. Ltd.

जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा तथा वरीय उप समाहर्त्ता, बैकिंग, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त कम्पनियाँ, यदि मधेपुरा जिले में कार्यरत है, तो जांच एवं सत्यापन कर Bihar Protection of Interest of Depositors Act-2002 के तहत् उचित कार्रवाई की जाए तथा कृत कार्रवाई से एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि मधेपुरा जिलान्तर्गत जितने भी इस तरह के संस्थान इत्यादि है तथा ब्लैक लिस्ट की सूची में शामिल है, उसकी प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

(अनुपालन-जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक/वरीय उप समाहर्त्ता, बैकिंग/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी)

(8) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-200211, दिनांक-09-09-2014 के द्वारा सूचित किया गया है कि मनरेगा अन्तर्गत कृषि

कार्य (फुल उत्पादन) से संबंधित दिशा-निर्देश दिया गया है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को यथोचित कार्रवाई हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन- उप विकास आयुक्त /सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मधेपुरा जिला)

(9) परिवहन :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4366, दिनांक- 11-08-2014 के द्वारा वाहनों के Inspection & Certification Centre की स्थापना हेतु प्रत्येक इकाई के लिए 3 से 5 एकड़ विवाद रहित एवं अतिक्रमणमुक्त भूमि चिन्हित कर शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अविलम्ब अग्रेतर कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

यह भी बताया गया कि प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4365, दिनांक- 11-08-2014 के द्वारा राज्य में स्थापित बस स्टैण्डों पर ही बस /टैम्पू लगाने, यात्रियों को वहीं चढ़ाने /उतारने का निदेश दिया गया है। इसके साथ-साथ अधिसूचित बस स्टैण्डों पर बसों के आगमन एवं प्रस्थान के समय एवं किराया दर्ज करने हेतु एक रजिस्टर या कम्प्युटर की व्यवस्था कर इसमें आने जाने का समय संधारित करने तथा बस स्टैण्डों पर मूलभूत सुविधाएं यथा पेयजल, शौचालय, यात्री शेड की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से भी कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में बस के ऊपर काफी ऑवर लोडिंग कर सामान ले जाया जाता है, जिसकी जांच कर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाए। निदेश दिया गया कि वैसे वाहन, जो ओवर लोडिंग करके चलाते हैं, उसकी जांच की जाए तथा वाणिज्यकर विभाग को सूचित कर नियमानुसार जुर्माना की राशि वसूला जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज, जिला परिवहन पदाधिकारी तथा मोटरयान निरीक्षक द्वारा जितने भी वाहनों की जांच, जप्ती एवं शुल्क राशि की वसूली की जाती है, उसका विस्तृत प्रतिवेदन पदाधिकारीवार प्रत्येक सप्ताह (शनिवार) जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन- अपर समाहर्त्ता/उप विकास आयुक्त, मधेपुरा/ जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /अनुमण्डल पदा0/अनुमण्डल पुलिस पदा0,मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा)

(10) स्थापना :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5018, दिनांक-12-06-2014 के द्वारा पदाधिकारियों /कार्यालयों के लिए आदेशपालों के पदों की अनुमान्यता के आलोक में समीक्षा कर वांछित सूचनाएँ वित्त विभागीय पत्र संख्या-1993, दिनांक-08-03-11, 3703, दिनांक-28-04-2011, 9325, दिनांक-10-10-2011, 5444, दिनांक- 23-05-2012, 9471, दिनांक-06-09-2012 एवं 16623, दिनांक- 06-12-2012 द्वारा मांग की गयी थी, जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि अपने-अपने विभाग से संबंधित उक्त वांछित सूचना एक सप्ताह के अन्दर विभाग को भेजते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाए।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4889, दिनांक-09-06-2014 के द्वारा कर्मचारियों /पदाधिकारियों को हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश स्वीकृत कर विनियमित करने के संबंध में निर्देश दिया गया है। समाहरणालय के अधीन सभी कर्मियों के हड़ताल अवधि के समायोजन अवकाश की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि विभाग द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन- जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा)

(11) 03 दिसम्बर, 2014 (विकलांगता दिवस) :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2035, दिनांक-02-09-2014 द्वारा सूचित किया गया कि 03 दिसम्बर, 2014 को विकलांगता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें विकलांगजनों (जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो) के बीच तिपहिया साईकिल /हियरिंग एड, वैशाखी तथा वाकिंग स्टिक वितरण किया जा सके। साथ ही विकलांगजनों के लिए स्थानीय कलाकारों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने का भी निदेश दिया गया है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त निर्देश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए। साथ ही सिविल सर्जन, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत जितने भी विकलांगजनों को शिविर के माध्यम से सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसकी सूची सामाजिक सुरक्षा एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को उपलब्ध करावें, ताकि उक्त सूची को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जा सके।

(अनुपालन- सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला सूचना विज्ञान अधिकारी /अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा)

(12) आपदा :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3375, दिनांक-12-09-2014 के द्वारा वर्ष 2008 की कोसी बाढ़ में विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सामग्रियों की विस्तृत इन्भेंट्री बनाकर सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। अपर समाहर्त्ता, आपदा, जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज तथा सभी अंचलाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि उक्त निदेश के आलोक में अपने-अपने विभाग से संबंधित सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सामग्रियों की विस्तृत इन्भेंट्री सूची तैयार कर आपदा प्रबंधन कार्यालय, मधेपुरा में उपलब्ध कराया जाए। अपर समाहर्त्ता, आपदा से अनुरोध है कि उक्त सूची को अपने स्तर से समेकित कर विभाग को भेजते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन- अपर समाहर्त्ता, आपदा, जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज तथा सभी अंचलाधिकारियों)

(13) उद्योग :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1405, दिनांक-04-09-2014 द्वारा बुनकर अदालत आयोजित करने का विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा ने बताया कि इस जिले में बुनकर नहीं है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा ने बताया कि उदाकिशुनगंज के विष्वारी पंचायत

में बुनकर है तथा अन्य कुमारखण्ड प्रखण्ड के चन्दा में भी है। निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा)

(14) आर0टी0पी0एस0 :-

जिलाधिकारी द्वारा आर0टी0पी0एस0 के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मधेपुरा प्रखंड में-75, शंकरपुर प्रखण्ड में-53, मुरलीगंज प्रखण्ड में-61, चौसा प्रखण्ड में-52 एवं आलमनगर प्रखण्ड में-113 मामले Expire दिखाये गये हैं, जो खेद का विषय है। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे इसका निष्पादन शीघ्र करावें। सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को भी निदेश दिया गया कि वे भी भ्रमण के दौरान आर0टी0पी0एस0 की समीक्षा अवश्य करें। निदेश दिया गया कि लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत् निर्धारित समय-सीमा के अन्दर विभिन्न प्रतिवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन- जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /आई0टी0 प्रबंधक, मधेपुरा तथा जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारी)

(15) राईट-अप :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 1-जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा, 2-जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा तथा 3-सहायक निदेशक, उद्यान, मधेपुरा द्वारा राईट-अप समर्पित किया गया है, जबकि श्री विनय कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा राईस मिल स्थलीय जांच के लिए बेगुसराय जाने के उपरान्त राईट-अप समर्पित नहीं किया गया है। इसी प्रकार कई पदाधिकारियों द्वारा बैठक /सेमिनार /कार्यशाला में भाग लेने के उपरान्त राईट-अप ससमय समर्पित नहीं किया जाता है। पुनः सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जैसे ही वे राज्य स्तरीय बैठक /कार्यशाला /सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त मुख्यालय वापस लौटे, तत्पश्चात् एक संक्षिप्त राईट-अप अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, जिससे कि यह पता चल सके कि विभाग द्वारा क्या-क्या निदेश दिये गये हैं।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी)

(16) योजना :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अपर परियोजना निदेशक, बि0आ0पु0पु0सो0, बिहार, पटना के पत्रांक-733, दिनांक-11-09-2014 के द्वारा श्री विजय कुमार, पूर्व समन्वयक, कोसी सेतु केन्द्र, कुमारखण्ड, मधेपुरा द्वारा प्राप्त पत्र के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा तथा जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से जांच-पड़ताल कर यथोचित कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-उप विकास आयुक्त /जिला योजना पदा0, मधेपुरा)

(17) उत्पाद :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व की बैठक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं का दृढ़ता एवं प्रभावी अनुपालन कराने तथा दण्ड स्वरुप जुर्माना की राशि वसूलने के संबंध में निदेश दिए गए थे।

समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वे विद्यालयों के आस-पास के दुकानों की जांच निश्चित अन्तराल पर करें, यदि उक्त दुकानदार द्वारा तम्बाकू का बिक्री किया जा रहा हो, तो उसको जप्त कर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाए। जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि जुर्माना की राशि वसूलने संबंधी फॉर्म विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसी कूपन में जुर्माने की राशि की कटौती की जानी है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त कूपन की एक प्रति जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को उपलब्ध करा दिया जाए। **समाहरणालय परिसर में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर जिला नजारत उप समाहर्त्ता द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा।**

(अनुपालन-अधीक्षक, उत्पाद / अनुमण्डल पदा0, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज/ सिविल सर्जन, मधेपुरा)

(18) अन्यान्य :-

❖ ***राशन कार्ड (जिला आपूर्ति)*** : समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि जनता दरबार में कई शिकयतें प्राप्त हुई है कि ग्राम पंचायत मंजौरा में कई पात्र परिवारों को राशन कार्ड नहीं मिला है। साथ ही गम्हरिया प्रखण्ड के जीवछपुर तथा सिंहेश्वर प्रखण्ड के मानपुर पंचायत के ग्राम के सभी लाभुकों का नाम एस0ई0सी0सी0 में छुट गया है, जिसके कारण राशन कार्ड नहीं निर्गत किया जा सका है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त प्रखण्डों के ग्राम पंचायत अन्तर्गत पात्र लाभुकों की जांच-पड़ताल कर नाम जोड़ने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित किया जाए। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि एस0ई0सी0सी0 में नाम जोड़ने हेतु नियमानुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। **(अनुपालन-जिला आपूर्ति पदाधिकारी /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा)**

❖ ***टैक्स जमा करना :-*** जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी कार्य करने वाले पदाधिकारी नियमानुसार टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें भी टैक्स जमा करना है। वाणिज्यकर आयुक्त, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि टैक्स जमा करने संबंधी एक विस्तृत डाटाबेस तैयार कर लिया जाए। सभी संबंधित अभियंताओं को निदेश दिया गया कि जो भी सरकारी भवन का निर्माण पूर्ण हो जाता है, उसका नियमानुसार टैक्स जमा कराया जाए, ताकि सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके। टैक्स हरहाल में जमा करना अनिवार्य है। **(वाणिज्यकर आयुक्त, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)**

❖ ***अगली सोमवारीय बैठक का आयोजन*** :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आगामी सोमवारीय बैठक जिला कृषि भवन, मधेपुरा (मधेपुरा प्रखण्ड मुख्यालय के पास) में (10:00 बजे पूर्वा0 से आयोजित की जाएगी। अतः सभी संबंधित पदाधिकारी निर्धारित समय पर उक्त बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि बैठक हेतु पूर्व ही सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कर लिया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि जिला कृषि टास्क फोर्स अन्तर्गत जो भी कार्यालय है, उनका कार्यालय कृषि भवन, मधेपुरा में ही रखा जाए। इसका उद्देश्य आमजनों एवं किसानों को सिंगल विण्डो की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्हें कृषि एवं अन्य संबंधित विभागों के कार्य निष्पादन हेतु अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। **(सभी संबंधित पदाधिकारी /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा)**

❖ ***बिहारीगंज में डाटा सेन्टर का निर्माण :-*** सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि बिहारीगंज में सिंचाई विभाग के बहुत सरकारी जमीन खाली पड़ा हुआ है, जिसमें डाटा सेन्टर का निर्माण कराया जा सकता है तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज को निदेश

दिया गया कि अपने स्तर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करते हुए अविलम्ब उपलब्ध करावें, ताकि विभाग को पत्राचार कर उक्त डाटा सेन्टर का निर्माण कराया जा सके। **(कार्य0अभि0, भवन /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज)**

❖ *मधेपुरा टाईम्स में प्रकाशित खबर, वार्ड नं0-10 में मेन रोड दफ्तरी मुहल्ला से बबलू के घर तक जाने वाली सड़क की जांच* :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 13-09-2014 को मधेपुरा टाईम्स डॉट काम नामक ऑन लाईन समाचार वेबसाईट पर खबर प्रकाशित हुई कि नगर परिषद्, मधेपुरा के वार्ड नं0-10 में मेन रोड दफतरी मुहल्ला से बबलू के घर तक जाने वाली सड़क लगभग दस लाख रूपये की लागत से इसी वर्ष तैयार हुई एवं चन्द महिनों के बाद ही सड़क के अन्दर की मिट्टी बह गई है और सड़क के ऊपर से भी देखने से ऐसा लगता है कि सड़क को मानक के मुताबिक नहीं बनाया गया है। यह सड़क दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। कार्यपालक अभियंता /सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त सड़क के संबंध में संवेदक श्री भानू प्रताप, जयप्रकाश नगर, वार्ड नं0-06 को अविलम्ब निदेश दिया जाए कि उक्त सड़क का पुनर्निर्माण करें। साथ ही कनीय अभियंता, जिन्हें उक्त कार्य के अनुश्रवण की जवाबदेही दी गयी थी, उनके विरूद्ध स्पष्टीकरण पृच्छा करते हुए अपने मंतव्य के साथ सम्यक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव तीन दिनों के अन्दर भेजना सुनिश्चित किया जाए। **(अनुपालन-अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता /सहायक अभियंता, भवन /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा)**

❖ *ई-मेल भेजना /खोलना* :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि जिले में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा द्वारा ससमय ई-मेल नहीं खोला जाता है, जिसके कारण जिले से भेजे गये महत्वपूर्ण पत्र को उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से इस संबंध में सभी संबंधितों को निदेशित किया जाए कि वे ससम्य ई-मेल खोले तथा संबंधित पत्र को प्राप्त करें। **(अनुपालन-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)**

❖ *प्रधानमंत्री जन-धन योजना :-* जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 17-09-2014 से नगर परिषद्, मधेपुरा तथा नगर पंचायत, मुरलीगंज अन्तर्गत वार्डवार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत् बैंक खाता खुलवाया जाना है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा तथा वरीय उप समाहर्त्ता, बैंकिंग, मधेपुरा को निदेशित किया जा चुका है। वरीय उप समाहर्त्ता, बैंकिंग, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 17-09-2014, 24-09-2014, 01-10-2014 तथा 08-10-2014 को वार्डवार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है। निदेश दिया गया कि उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाए। **(अनुपालन-जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा /वरीय उप समाहर्त्ता, बैंकिंग, मधेपुरा)**

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

16/9/14	16/9/14	16/9/14
निजी सहायक	प्रभारी पदाधिकारी	जिलाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	जिला गोपनीय शाखा,मधेपुरा	मधेपुरा।

Ichalia 16/9/14 C.Operator

ज्ञापांक...2517....../गो0, मधेपुरा, दिनांक..16/09/2014

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला

पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अवर निबंधक, मधेपुरा /जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, मधेपुरा / सहायक नियंत्रक, माप-तौल, मधेपुरा /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर /कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा /वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, सहरसा /कार्यपालक अभियंता, काडा, मधेपुरा/ जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, मनरेगा मधेपुरा/ औषधि निरीक्षक, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा / जिला अग्रणी प्रबंधक, मधेपुरा /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा /वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा / निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार प्र0 संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को Website में upload करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को email करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निजी सहायक	प्रभारी पदाधिकारी	जिलाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	जिला गोपनीय शाखा,मधेपुरा	मधेपुरा।

Khalid 16/09/14 c-operator